न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक -एक/2017 निगरानी

1- प्राणसिंह पुत्र बुद्धा सेहर
2- रामकेस पुत्र शिवचरण सेहर
3- वीरन पुत्र शिवचरण सेहर
4- घूमन पुत्र शिब्बा सेहर
5- कपूरा पुत्र बुद्धा सेहर
6- हल्के पुत्र बुद्धा सेहर
7- अंगद पुत्र कंपू सेहर
8- मथरी पुत्र चेतू सेहर
9- मुंशी पुत्र चैतू सेहर
10-रामपाल पुत्र पीतम सेहर
11-रतीराम पुत्र पीतम सेहर
12-संग्राम पुत्र पीतम सेहर
13-मांगी पुत्र पीतम सेहर

सभी ग्राम चंदौरिया तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश । ---आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर जिला शिवपुरी ---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 तहसीलदार बदरवास जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 351/13-14 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 9-3-16 के विरूद्ध)

महोदय,

<u>निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण</u>

यह कि आवेदकगण जाति के सेहरिया आदिवासी हैं एंव ग्राम चन्दौरिया में रहते हैं तथा अन्य बड़े कास्तकारों के यहॉ खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते आ रहे हैं। श्रीमान तहसील बदरवास के तहसीलदार महोदय ग्राम चंदौरिया में आये थे तथा आवेदकगण के आदिवासी होने एंव गरीव व भूमिहीन होने से उन्होंने ही पहल करके पटटे की दरखास्ते मांगी तथा प्र0क0 45/2001-02 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2002 से 13 आदिवासियों को भूमि आवंटित कर दी। भूमि आवंटन के उपरांत

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3308 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक एवं अना0 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः निगरानी आवेदन उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	